डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

मुकाम चौहटन

1. लोंगा पुत्र हबीब जाति मुसलमान **बनाम**
निवासी जालीला
तहसील सेड़वा

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा
2. पंजू पुत्र दामा जाति मेगवाल
निवासी जालीला, तहसील सेड़वा

वाद बाबत 88, 188 RT Act.

मुकदमा नं. 76/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री नरेश छाजेड़ एवं महेन्द्र रामावत** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री भाखराराम** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम फिटकारिया, तहसील सेड़वा के खेत खसरा नं. 89 रकबा 22.06 बीघा की भूमि के संबंध में पेश वाद अन्तर्गत धारा 88,188 Rt Act काल्पनिक, बेबुनियाद वं निराधार तथ्यों के आधारित होने के कारण खारिज किया जाता है।

....

.... मबलिग .... बाबत .... बीज ....

.... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... करे।

वसमत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 8·6·12 .... को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

दस्तखत..........................

ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 76/2011

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अ.

अनवान वादी – 1. लोंगा पुत्र हबीब जाति मुसलमान
निवासी जालीला,तहसील सेड़वा

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा
2. पंजू पुत्र दामा जाति मेगवाल
निवासी जालीला, तहसील सेड़वा

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री नरेश छाजेड़ एवं श्री महेन्द्र रामावत
प्रतिवादीगण वकील – श्री भाखराराम

निर्णय

दिनांक :– 8.6.12

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा जालीला (वर्तमान राजस्व गांव फिटकारिया) में वादी के दादा कायुम पुत्र हबीब जाति मुसलमान के नाम से वक्त सेटलमेन्ट में खसरा सं. 89 रकबा 22.06 बीघा भूमि आई हुई थी। वादी के दादा के फौत होने पर उक्त भूमि वादी के पिता हबीब के नाम से खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादी के पिता हबीब को पटवारी हल्का जालीला द्वारा गलत रूप से पाकिस्तान जाना बताकर व अपनी भूमि परित्याग करना बताकर रिपोर्ट की गई जिस पर वादी के पिता के विरूद्ध 63(1)(8) रा.का.अ. के तहत कार्यवाही की गई व दिनांक 28.03.1970 को एकपक्षीय कार्यवाही में वादी के पिता की भूमि गलत रूप से खालसा की गई थी। खालसा के बाद उक्त भूमि सरकार द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को एलोट की गई। उसके पश्चात् वादी के पिता की मृत्यू हो गई तब से लगातार वादी अपनी भूमि पर काबिज है एवं काश्त कर रहा है। वादी के पिता ने उक्त भूमि कभी भी हमेशा के लिए परित्याग कर पाकिस्तान नहीं गया । अर्सा 4 दिन पूर्व जब प्रतिवादी सं. 2 वादी को उसकी भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तब यह विवाद उत्पन्न हुआ। उपरोक्त वादग्रस्त में वादी प्रतिवादी सं. 2 को किया गया एलोटमेन्ट निरस्त करवाकर अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं. 2 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भाखराराम ने वकालतनामा पेश किया । प्रतिवादी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि उक्त वादग्रस्त खसरा सं. 89 रकबा 22.06 बीघा मुझ प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है जो सम्पूर्ण भूमि एसबीबीजे शाखा सेड़वा में रहन है। उपरोक्त वादग्रस्त वादी के पिता हबीब द्वारा परित्याग कर पाकिस्तान चला गया था जो बाद में खालसा होकर सरकारी खाते में दर्ज की गई एवं आवंटन योग्य होने से प्रतिवादी सं. 2 को आवंटन की गई। उसके बाद प्रतिवादीसं. 2 के नाम नामान्तरकरण सं. 12 ग्राम फिटाकरिया दिनांक 01.06.1992 को पारित किया गया । जिससे प्रतिवादी सं. 2 खातेदार कृषक है। आंवटन के बाद से प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त है । प्रतिवादी सं. 2 को किया गया आवंटन निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर को है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी का वाद काबिल खारिज है।

उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में लोक अदालत कोर्ट कैम्प सेड़वा में दिनांक 24.07.15 को पटवार हल्का बीसासर एवं भू.अ.नि. सारला से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट केम्प नेतरड़ में पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित । प्रतिवादी सं. 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई कर वाद को निस्तारण करने बाबत पेश किया । जिसमें निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मुझे सरकार द्वारा आवंटित की गई है। जिस पर मेरा कब्जा काश्त है, मेरे नाम से रेकर्ड है। तहसीलदार की रिपोर्ट मेरे पक्ष में है तथा मेरा जवाब पूर्व में आ चुका है। इसलिए वाद को खारिज किया जावे।

प्रतिवादी सं. 3 को सुना गया। प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त खसरा सं. 89 रकबा 22.06 बीघा भूमि वादी के पिता के पाक जाने पर नियमानुसार खालसा की गई । वादग्रस्त खालसा होने के बाद प्रतिवादी सं. 2 को आवंटन हुई जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त आवंटी को गैर खातेदार आसामी के रूप में आवंटन की गयी । आवंटन शर्तों का पालन करने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। खातेदार द्वारा कृषि भूमि हेतु एसबीबीजे शाखा सेड़वा से ऋण लिया है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि को हड़पने का है अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के पाक जाने पर वादी के पिता के विरूद्ध 63(1)(8) रा.का.अ. के तहत कार्यवाही की गई व कार्यवाही में वादी के पिता की भूमि खालसा की गई थी। खालसा के

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

बाद उक्त भूमि सरकार द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को एलोट की गई। जिस पर प्रतिवादी सं. 2 का कब्जा काश्त है एवं रेकर्ड में उसके नाम से है। प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त प्रतिवादी सं. 2 को नियमानुसार आवंटित हुई है। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को किया गया एलोटमेन्ट निरस्त करवाकर अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं. 2 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है जो न्याय संगत नहीं है, जो काबिले खारिज है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88,188 **Rt Act** सारहीन तथा मनगढत, काल्पनिक, बेबुनियाद वं निराधार तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जाता है तथा इस आश्य की डिक्री जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प जैतराड़ में दिनांक 8.6.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन